प्रेस विज्ञप्ति

3/11/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), भुवनेश्वर आंचलिक कार्यालय, 29/10/2025 को, धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत ओडिशा, दिल्ली, उत्तराखंड और पंजाब में एक व्यापक बहु-राज्य तलाशी अभियान चलाया। यह कार्रवाई मेसर्स एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के संबंध में पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन बैंक (तत्कालीन इलाहाबाद बैंक) पर 73 करोड़ बैंक ऋण धोखाधड़ी के मामले में चल रही जांच का हिस्सा थी।

ईडी ने पीएमएलए, 2002 के तहत अनुसूचित अपराधों को लागू करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर जांच शुरू की।

तलाशी के दौरान, ईडी ने मेसर्स एसआर अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड से मेसर्स ब्रूफोर्स टेक्नोलॉजीज और अन्य संबद्ध कंपनियों, संस्थाओं और व्यावसायिक सहयोगियों को ऋण निधियों के व्यवस्थित डायवर्जन के सबूतों के रूप में अपराध संकेती दस्तावेज बरामद और जब्त किए। इसके अतिरिक्त, कई करोड़ रुपये की संपत्ति से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए गए और जब्त किए गए, जो विपथित फंड का उपयोग करके संपत्ति के अधिग्रहण का संकेत देते हैं।

ईडी की जाँच से पता चला कि एस.आर.अल्कोबेव प्राइवेट लिमिटेड ने उक्त बैंकों से कुल 73 करोड़ रुपये की क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाया था। सहयोगी कंपनियों और संबंधित संस्थाओं के साथ मिलीभगत करते हुए, कंपनी ने स्वीकृत धन को उन उद्देश्यों के लिए निकाल लिया जो स्वीकृत नहीं थे,जिससे उधार देने वाली संस्थाओं को धोखा दिया गया और सरकारी खजाने को पर्याप्त नुकसान हुआ।

ईडी ने धोखाधड़ी से जुड़े व्यक्तियों, निदेशकों और लाभार्थी संस्थाओं की भूमिका की विस्तृत जांच शुरू की है।

आगे की जांच जारी है।